

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 372 / 2012
संस्थान दिनांक 28.08.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. सलीम पिता हारुण नायता, आयु 22 वर्ष,
2. वसीम पिता हारुण नायता, आयु 20 वर्ष,
दोनों निवासी-नायता मोहल्ला, ठीकरी,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 07.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 157 / 2012 अंतर्गत 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 28.08.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण सलीम एवं वसीम के विरुद्ध दिनांक 23.08.2012 को समय शाम 5:00 बजे, नायता मोहल्ला, ठीकरी में फरियादिया अनिसा के घर के सामने फरियादिया अनिसा को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, फरियादिया अनिसा को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादिया अनिसा को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में धारा 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षीगण अभियुक्तों को जानते हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि घटना के समय फरियादी अनिता अभियुक्तों के मकान के सामने की नाली से झाड़ू निकाल रही थी। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया अनिसा का मकान अभियुक्तों के मकान के लगा हुआ है। घटना दिनांक 23.08.2012 को मोहल्ले में नल में पानी आने पर फरियादिया अनिसा के घर के सामने नाली में कचरा अड़ जाता था, तब फरियादी पानी डालकर कचरा हटाने लगी तभी फरियादी का पड़ोसी अभियुक्त सलीम एवं वसीम ने फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देकर कहा कि कचरा क्यों बहाती है, तो फरियादी ने गालियाँ देने से मना किया तो अभियुक्तों ने लोहे के पाईप से फरियादी के साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में पीछे बायीं ओर तथा पीठ में भी मारा जिससे चोंटें आई तथा सिर से रक्त निकलने लगा। अभियुक्तों ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना में बीच-बचाव अजीज, नाना, व शरीफ ने किया। पुलिस ने फरियादिया अनिसा द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/2012 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपति धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादिया अनिसा की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त सलीम से एक लोहे का पाईप जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया व साक्षियों के समक्ष अभियुक्त सलीम एवं वसीम को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 6 एवं 7 के गिरफ्तारी पंचनामों बनाये तथा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादिया अनिसा, साक्षीगण अजीज, शरीफ एवं नाना के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 23.08.2012 को समय शाम 5:00 बजे, नायता मोहल्ला, ठीकरी में फरियादिया अनिसा के घर के सामने फरियादिया अनिसा को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया अनिसा को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया अनिसा को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया अनिसा (अ.सा.1), अजीत (अ.सा.2), नाना (अ.सा.3), डॉ. दुर्गासिंह चौहान (अ.सा.4), सहायक उपनिरीक्षक के.आर. भालसे (अ.सा.5) एवं शरीफ उर्फ रफीक (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अनिसा अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि घटना 1 वर्ष पूर्व शाम 5 बजे की है, उस दिन नल में पानी आया था। उसने नाली में अटका हुआ कचरा बहाने के लिए नाली में पानी डाला था, तब अभियुक्त सलीम उसे मारपीट करने आया और वसीम भी आ गया। सलीम ने उसके साथ लोहे के पाईप से मारपीट की, जिससे उसके सिर में रक्त निकला तथा दो टाके आये, उसे पीठ में पाईप लगा था। घटना के समय उसका पति अजीज घटनास्थल पर आ गया था, उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मडिकल परीक्षण कराया था तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय मोहल्ले के नल में पानी आया था और सभी मोहल्ले वाले और उसके पड़ोसी नल से पानी भर रहे थे। विवाद के समय मोहल्ले के बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे, जिनके नाम उसे नहीं मालूम। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अपने पुत्रों के मल को झाड़ू से अभियुक्तों के पिता हारून के पैर पर फेंका था, जिस पर अभियुक्तों के पिता ने उसे समझाया था तो उसने अभियुक्तों को गोलिया दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और थोड़ी देर बाद अभियुक्त सलीम किनारे की गली से निकला तो उसने सलीम को ईंट से मारने का प्रयास किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि सलीम उसका हाथ पकड़ने लगा और

झुमा-झपटी में वह ईंट के ढेर पर गिर गई, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि नाना, नजीर, सुगराबाई, तस्लीम, शाहरूख व नसीम आदि उपस्थित थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि सलीम उसका देवर हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दिनांक 16.08.2012 को सुल्ताना बी की पुत्री तहरीन को ईंट से मारा था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना ठीकरी में की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मोहल्ले वालों ने उसके विरुद्ध पंचायत के माध्यम से थाना ठीकरी पर दिनांक 16.07.2009 को शिकायत की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने मोहल्ले के कई लोगों से विवाद किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी या वह असत्य कथन कर रही है।

8. अजीत अ.सा. 2 ने भी अनिसा अ.सा. 1 के कथनों का समर्थन करते हुए हुए अभियुक्तों द्वारा लोहे के पाईप से अनिसा के सिर पर मारने जिससे अनिसा के सिर में चोटें आने और अनिसा की पीठ पर भी पाईप से मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के बाद वह अपनी पत्नी को थाना ठीकरी पर रिपोर्ट करने ले गया था। पुलिस ने उसकी पत्नी का चिकित्सीय परीक्षण करवाया था। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय मोहल्ले के नल में पानी आया था लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उस समय मोहल्ले के व्यक्ति पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। साक्षी ने सुझाव को स्वीकार किया कि घटना के समय वह अपना मकान बना रहा था तथा वह घटनास्थल से 20 फीट की दूरी पर था लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटना के बाद मौके पर पहुँचा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह घटनास्थल पर पहुँचा तब उसकी पत्नी के साथ अभियुक्तों ने पाईप से मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी पत्नी ने बच्चों का मल सुपड़ी में रखकर अभियुक्तों के पिता के पैर पर फेंक दिया था तथा उनके द्वारा समझाने पर अभियुक्तों ने गौलिया दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि कि अभियुक्तगण विवाद होने के बाद अपने घर के अंदर चले गये थे और दरवाजा बंद कर लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि सलीम को उसकी पत्नी ने ईंट से मारपीट करने का प्रयास किया था, तब सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसकी पत्नी पास में पड़ी हुई ईंट पर गिर गई। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब विवाद हुआ उस समय मोहल्ले के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें नाना, चाचा थे एवं मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों के नाम उसे ध्यान नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुल्ताना बी की पुत्री को चोटें पहुँचाने के संबंध में उसकी पत्नी के विरुद्ध थाना ठीकरी में रिपोर्ट की गई थी और मोहल्ले वालों ने उसकी पत्नी के विरुद्ध पंचायत के माध्यम से थाना ठीकरी पर भी रिपोर्ट की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट नहीं की थी अथवा उसकी पत्नी ने मिथ्या रिपोर्ट लिखाई थी।

9. नाना असा 3, का कथन है कि वर्ष 2012 में लगभग शाम 5:00 बजे अनिसा उसके मकान के सामने की नाली में झाड़ू निकाल रही थी, तब मल के छिटे अभियुक्त के पिता के ऊपर उड़े, तो अभियुक्त सलीम ने अनिसा को झाड़ू धीरे निकालने को कहा, तब अनिसा ने अभियुक्तों को गालिया दी और अभियुक्तों ने भी अनिसा को गालिया दी और दोनों पक्षों में आपस में उमक-झुमक हुई थी। अनिसा को उसके पति ने विवाद करने से मना किया था और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा था, तब अनिसा वहाँ रखी ईंटों पर गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट लगी थी। इस साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने अनिसा को लोहे के पाईप से मारा था, जिससे उसके सिर एवं पीठ पर चोट आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उस समय मोहल्ले के व्यक्ति नल से पानी भर रहे थे तथा घटनास्थल पर अनिसा का देवर शरीफ पिता रमजान उपस्थित नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि शरीफ उस दिन सेंधवा गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अनिसा बी ने मोहल्ले की सुल्ताना बी की पुत्री तहरीन को ईंट फेंककर मारा था, जिससे उसे चोट आई और मोहल्ले के लोगों ने भी थाना ठीकरी में अनिसा के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अनिसा बी का मोहल्ले के लोगों से विवाद होता रहता है।

10. शरीफ उर्फ रफीक अ.सा. 6 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने फरियादिया के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 8 का कथन देने से भी इंकार किया है।

11. सहायक उपनिरीक्षक के. आर. भालसे अ.सा. 5 ने दिनांक 23.08.2012 को थाना ठीकरी में अनिसा बी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/12 प्रदर्शनी 1 का दर्ज कर और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी और साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शनी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त सलीम के पेश करने पर एक लोहे का पतला पाईप प्रदर्शनी 5 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में घटना के समय मोहल्ले के नल में पानी आने की बात लिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब नल आता है तो मोहल्ले के सभी व्यक्ति नल से पानी भरते हैं तथा नक्शा मौका पंचनामों में नाना, नजीर एवं निजाम का मकान दर्शाया गया है उसने घटनास्थल के आसपास रहने वालों से पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने घटना नहीं देखना बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार

किया कि उसने सलीम से लोहे का पाईप जप्त नहीं किया था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि गाँव वालों ने फरियादी के विस्द्ध रिपोर्ट की थी या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी के कहने पर असत्य रिपोर्ट दर्ज की है।

12. डॉ.दुर्गासिंह चौहान अ.सा. 8 का कथन है कि दिनांक 23.08.2011 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में थाने के आरक्षक बिलवरसिंह द्वारा लाये जाने पर अनिसा पति अजीत, आयु 26 वर्ष, निवासी ठीकरी का चिकित्सीय परीक्षण करने पर सिर के पिछले भाग पर एक कटा-फटा घाव जिसका आकार 1 इंच X 1/4 इंच तथा चोट कमांक 2 दाहिने कंधे के पिछले भाग पर एक खरोच 5 X 1/4 इंच तथा दाहिने कंधे के निचले हिस्से पर एक खरोच की चोट 4 इंच X 1/4 इंच होना पाई थी जो कि साधारण प्रकृति की होकर सभी चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आई होकर परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने अपना प्रदर्शपी 4 का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त सभी चोटें सख्त धरातल पर गिरने से आना संभव है।

13. ऐसी स्थिति में जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया ने यह लिखाया है कि अभियुक्तों ने वहाँ पर लोहे के पाईप से उसके सिर के पीछे बायीं तरफ और पीठ पर मारपीट करके चोट पहुँचाई तथा घटना नाना, और शरीफ ने देखी है, लेकिन उक्त साक्षी नाना अ.सा. 3 और शरीफ उर्फ रफीक अ.सा. 6 ने फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है, बल्कि नाना का यह कथन है कि अनिसा ने अभियुक्तों से विवाद किया और विवाद के दौरान अनिसा वहाँ रखी ईंटों पर गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट लगी थी। शरीफ उर्फ रफीक अ.सा. 6 ने स्पष्ट कथन किया कि घटना दिनांक को वह अपने गाँव में नहीं था, ससुराल गया हुआ था। अनिसा अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में मोहल्ले के लोगों को व पड़ोसियों को उपस्थित होना बताया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। सहायक उपनिरीक्षक के.आर भालसे अ.सा. 5 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल के आसपास के रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने घटना नहीं देखना बताया था। डॉ. दुर्गासिंह चौहान अ.सा.5 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि अनिसा को आई चोटें सख्त धरातल पर गिरने से आना संभव है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने घटना, दिनांक, स्थान व समय पर अनिसा अ.सा.1 के साथ सख्त अथवा बोथरी वस्तु लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की, बल्कि अभियुक्तों का यह बचाव संभावित प्रतीत होता है कि फरियादी स्वयं ने अभियुक्तों से विवाद किया और उसे ईंटों पर गिर जाने से चोट आई। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 323 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तों को उक्त अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 3 के संबंध में

14. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है इस संबंध में फरियादिया अनिसा अ.सा.1 का केवल इतना कथन है कि अभियुक्तों ने उसे माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि उसे कौन-कौन से अश्लील शब्द कहे गये थे अथवा उक्त शब्द लोक स्थान पर कहे गये थे अथवा उक्त अश्लील शब्द सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। फरियादिया ने अभियुक्तों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं तथा अन्य किसी अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, तो ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग-2 के अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग-2 के अपराधों में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का पाईप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी